



राज्यपाल

संख्या— / जी०एस० / शिक्षा / A4-109 / 2016

प्रेषक,

अरुण कुमार ढौड़ियाल,
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 26 अप्रैल, 2016

महोदय,

कृपया आपके क्रमशः पत्रांक-8549 दिनांक 02-05-2011, पत्रांक-18070 दिनांक 30-07-2013, पत्रांक-22284 दिनांक 15-11-2014 व पत्रांक-24160 दिनांक 13-07-2015 एवं तत्क्रम में शासन की पत्रावली क्रमशः सं०-98/10 (1305/XLI-1/11), सं०-71/13 (1073/XLI-2/13), सं०-72/15 (611/XLI-1/15) एवं सं०-110/15 (781/XLI-1/15) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अधीन निम्न संस्थान / कॉलेज को रत्नभ-3 में (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय-5 की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान / कॉलेज को रत्नभ-3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गई है:-

क्र	संस्थान	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता(सीटे) / अवधि		
			सत्र 2010-11, 2011-12, 2012-13	सत्र 2013-14	सत्र 2014-15, 2015-16
1	2	3	4	5	6
1	ज्ञानी इन्ड्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड, नियर-मालसी डियर पार्क, पो०-सिनोला, देहरादून।	बी०फार्मेसी एम०फार्मा०:- फार्मास्यूटिक्स क्वालिटी एस्सुरेंस	60 एम०फार्मा०:- फार्मास्यूटिक्स क्वालिटी एस्सुरेंस	60 --- --- 18	60 --- --- 18

1. संस्थान / कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन / विश्वविद्यालय / नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3. कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश / पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रवेश

7. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियां परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था / शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी विश्वविद्यालय एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक / सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ फैकल्टी की शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

10. छात्रों से विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

11. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय / निदेशक, उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।

12. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

13. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था / विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

14. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं संबंधित विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(अरुण कुमार ढौड़ियाल)

विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या-352 (1) / जी०एस० / शिक्षा / A4-109 / 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. प्राचार्य / प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
4. तकनीकी शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)

उप सचिव, श्री राज्यपाल।



A

संख्या—/जी०एस०/शिक्षा/A4-109/2012

प्रेषक,

राज्यपाल / कुलाधिपति के प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 28 जून, 2012

महोदय,

आपके पत्र संख्या—10913/सम्बद्धता/2011 दिनांक 16.02.2012 एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या—26/12 (243/XLI-1/12) की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदया द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अध्याय—5 की धारा—24 (2) एवं यथा संशोधित अधिनियम, 2009 के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ—3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ—5 में वर्णित अवधि के लिए प्रथमबार अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गई है :-

क्र. स.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	ज्ञानी इन्ड्र सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून।	1. M. Pharmacy (Pharmaceutics)	18 सोट	शैक्षणिक वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 हेतु।

1— प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में, संस्थान/कालेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पृष्ठि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2— संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/तकनीकी विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3— शासन अथवा कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः—

(2)

4— संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ—साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

5— यदि नियामक संस्था (AICTE), राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6— संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय—समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी।

7— पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियमक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेतर अस्थाई सम्बद्धता विस्तरण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

भवदीय,

४०/

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव

संख्या 1079 (1) / जीएस0 / A4-109 / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं भावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2—निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली।


3—निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड।

4—प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।

5—तकनीकी शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।

6—कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,


(पूनम सिंह सोबंती)
वित्त नियंत्रक।



उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून

UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY DEHRADUN

पो०ओ० चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड

P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun-248007, U.K.

Website : www.uktech.in, Tel. : 0135-2770126, 127, 128 Fax : 0135-2770124, 130

पत्रांक/Ref.No.10913 / सम्बद्धता / 2011-12

दिनांक/Date 16-02-2012

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषय: 'ज्ञानी इन्ड्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डाइवर्जन रोड, मालसी डियर पार्क, पो०ओ० सिनोला, देहरादून- 248003 (उत्तराखण्ड) को सत्र 2011-12 हेतु M.Pharma (Pharmaceutics) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर निवेदन है कि 'ज्ञानी इन्ड्र सिंह हयूमन डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशन सोसाइटी' द्वारा 'ज्ञानी इन्ड्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डाइवर्जन रोड, मालसी डियर पार्क, पो०ओ० सिनोला, देहरादून- 248003 (उत्तराखण्ड) नामक संस्थान संचालित है। उक्त संस्थान को 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' द्वारा अपने पत्रांक-Northern/1-428187022/2011/EOA दिनांक 01 सितम्बर, 2011 के माध्यम से सत्र 2011-12 हेतु M.Pharma (Pharmaceutics) पाठ्यक्रम में निम्नवत मान्यता प्रदान कर दी गयी है:-

Program	Name of the Course	Shift	Full/Part Time	Level	Approved Intake for 2011-12
Pharmacy	M.Pharma (Pharmaceutics)	First Shift	Full Time	PG	18

'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा एक निरीक्षण मण्डल का गठन कर उक्त संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने हेतु निरीक्षण कराया गया है। निरीक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित 30 बिन्दुओं पर संस्थान का निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो मूल रूप में संलग्न है। संस्थान द्वारा भूमि, भवन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध कराये गये हैं। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संस्थान द्वारा सम्बद्धता सम्बन्धी मानकों एवं शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। संस्थान द्वारा समर्त वांछित अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा वर्तमान में उक्त संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई गंभीर शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

[Signature]

क्रमांक.....02


(02)

संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2011-12 में उक्त पाठ्यक्रम में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिये गये हैं तथा छात्र/छात्राओं से ₹ 65,000/- प्रति सेमेस्टर शिक्षण शुल्क लिये जाने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। संस्थान के शुल्क का निर्धारण शासन स्तर से अभी अपेक्षित है। संस्थान के सम्बद्धता सम्बन्धी प्रकरण पर माझे कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा तदनुसार ही सम्बद्धता की संस्तुति की जा रही है। विश्वविद्यालय की निरीक्षण मण्डल की निरीक्षण आख्या, कुलाधिपति सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाएं तथा संस्थान से सम्बन्धित वांछित अभिलेखों की प्रतियां संलग्न कर एतद्वारा प्रेषित की जा रही हैं।

अतः अनुरोध है कि कृपया 'ज्ञानी इन्ड्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डाइवर्जन रोड, मालसी डियर पार्क, पोओ० सिनोला, देहरादून-248003 (उत्तराखण्ड)' को 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' द्वारा प्रदत्त मान्यता के आधार पर M.Pharma (Pharmaceutics) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2011-12 के लिए सम्बद्धता हेतु शासन की संस्तुति सचिव, कुलाधिपति को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा उक्त संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार किया जा सके।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,


(प्रमोद कुमार जोशी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि— सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(प्रमोद कुमार जोशी)
कुलसचिव